रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 139] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 21, 1971/भाद्र 30, 1893

No. 139] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 21, 1971/BHADRA 30, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 21st September 1971

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the year April 1971-March 1972 (Amendment No. 27).*

No. 123-ITC(PN)/71.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book for the year April, 1971-March 1972, issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44-ITC(PN)/71, dated the 30th April, 1971, as amended from time to time.

2. It has been decided that paragraph 38(1) (viii) of Part B of Section I of the aforesaid Policy Book may be substituted by the following:—

"(viii) The import of Milk Powder, Man-made Fibres and yarn (cellulose and non-cellulose), Polythelene, PVC Resin, Cellulose acetate butyrate moulding powder and Plasticisers will not be allowed under this facility.'.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1971

विषय : अप्रैल, 1971—मार्च 1972 के वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन सं० 27)

सं० 123-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 44—आई०टी०सी० (पी०एन०)/71, दिनांक 30-4-71 के अन्तर्गत अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेडबुक) के पा० 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. यह निश्चय किया है कि उक्त नीति पुस्तक के खंड 1 के भाग की कंडिका 38 (1) (8) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(8) मिल्क पाउडर, हस्त निर्मित तन्तु और धागे (सेल्यूलोज और नान सेल्यूलोज), पालिथेलिन, पी वी सी रेजिन, सेल्यूलोज एसिटेट ब्युटियेट मोल्डिंग पाउडर और प्लास्टि साइजर के आयात की स्वीकृति इस सुविधा के अन्तर्गत नहीं दी जाएगी।"

एम० एम० सेन,
संयुक्त नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971